



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238192
CG-DL-E-18082022-238192

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]
No. 563]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

सं. 25/2022- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 637(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “असोडिऑक्सीकोलिक एसिड (यूडीसीए)” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/15/2021-डीजीटीआर, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे दिनांक 30 जून, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अनंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि -

- विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;
- इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- विषयगत उत्पाद की भरमार होने और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अनंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उक्त विषयगत वस्तु के अवतरण मूल्य और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उसके संदर्भ मूल्य के रूप में विनिर्दिष्ट राशि के अंतर के बराबर की दर से, बशर्त कि ऐसा अवतरण मूल्य कॉलम 7 में दर्शायी गई राशि से कम हो, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	संदर्भित राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29*	असॉडिऑक्सीकोलिक एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	ज़ोंगसान बेल्लिंग बायोटेक्नोलॉजी कं., लि.	424.17	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	सिचुआन शाईली फॉर्मास्युटिकल कं., लि.	429.33	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	सुजुहोउ तिआनलू बायो-फॉर्मास्युटिकल कं., लि.	439.47	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
4.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	अन्य कोई उत्पादक	455.01	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
5.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से भिन्न अन्य कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	अन्य	455.01	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

6.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	डिवूंग बायो इनकॉर्पोरेटेड	371.18	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
7.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	अन्य कोई उत्पादक	374.45	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
8.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से भिन्न अन्य कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	अन्य	374.45	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

* 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 हालांकि, यह उत्पाद मुख्य रूप से 29181690 और 29181990 के अंतर्गत आयात किया जाता है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190354/185/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2022

No. 25/2022-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 637(E).—Whereas, in the matter of ‘Ursodeoxycholic Acid (UDCA)’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority vide its preliminary findings No. 6/15/2021-DGTR, dated the 30th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th June, 2022, has provisionally concluded that-

- (i) the product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid preliminary findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table, falling under the Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional anti-dumping duty at a rate equal to the difference between the landed value of subject goods and the amount specified as reference price in the corresponding entry in column (7), provided that the landed value is less than the amount indicated in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Chapter	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Reference Price	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29*	Ursodeoxycholic Acid	China PR	Any country including China PR	Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd.	424.17	KG	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd.	429.33	KG	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Suzhou Tianlu Biopharmaceutical Co., Ltd.	439.47	KG	USD
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other producer	455.01	KG	USD
5	-do-	-do-	Any country other than China PR and Korea RP	China PR	Any	455.01	KG	USD
6	-do-	-do-	Korea RP	Any Country including Korea RP	Daewoong Bio Incorporated	371.18	KG	USD
7	-do-	-do-	Korea RP	Any Country including Korea RP	Any other producer	374.45	KG	USD
8	-do-	-do-	Any country other than China PR and Korea RP	Korea RP	Any	374.45	KG	USD

* 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 and 2942. However, the product is majorly imported under 29181690 and 29181990.

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months, unless revoked, amended or superseded earlier, from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of the anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 190354/185/2022 –TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.